भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5247
जिसका उत्तर मंगलवार 27 मार्च, 2018 को दिया जाना है

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

5247. श्री राम टहल चौधरी:
श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:
डॉ बंशीलाल महतो:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संचित घाटा सहित आपके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अध्यधीन रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का राज्य और सरकार- क्षेत्र उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्जीवित करने अथवा रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश आमंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्ययोजना बनाई गई है/बनाई जा रही है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़ सहित देश में और अधिक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और
(ङ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): ब्यौरे अनुबंध में हैं।

(ख) और (ग): भारी उद्योग विभाग के पास अपने अधीन प्रशासित रुग्ण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई कार्य योजना नहीं है। यद्यपि, इन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में निवेश का विवरण वर्ष 2016-17 के लोक उद्यम सर्वे में उपलब्ध है, जिसे 13 मार्च, 2018 को संसद के दोनों सदनों में रखा जा चुका है।

भारी उद्योग विभाग घाटे में चल रही प्रत्येक सीपीएसई की समीक्षा करता है जिसमें आवधिक मूल्यांकन के बाद स्टेकहोल्डरों से विचार-विमर्श करके संबंद्ध सीपीएसई के निष्पादन की उचित प्रतिक्रिया निर्धारित की जाती है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम पूरी तरह से रुग्ण हैं, उनके कर्मचारियों को आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत योजना (वीआरएस)/स्वैच्छिक वियोजन योजना(वीएसएस) और देय मुआवजा देकर विनिवेश किया गया है अथवा बंद कर दिया गया है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यम जो कि लंबे समय से घाटे में चल रहे हैं और जिनकी मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में वापसी की संभावना नहीं है, को सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया है। इन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रुग्ण होने के कई कारण हैं जैसेः- कम आर्डर बुकिंग, कार्यशील पूंजी की कमी, आवश्यकता से अधिक जनशक्ति, अप्रचालित प्लांट एवं मशीनरी, प्राइवेट सेक्टर से कठोर प्रतिस्पर्धा, सस्ता आयात और बदलते बाजार की परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई आदि।

(घ): वर्तमान में भारी उद्योग विभाग के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ): प्रश्न नहीं उठता।

******

अनुबंध

क्र. सं	सीपीएसई का नाम	राज्य	हानि का ब्यौरा (रु. लाख में)*		
			2014-15	2015-16	2016-17
1	भारत पंप्स एंड कॉम्प्रेसर्स लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	-5504.00	-7506.00	-8447.00
2	बीएचईएल - इलेक्ट्रिकल मशींस लिमिटेड	केरल	-396.00	-298.00	-424.00
3	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	कर्नाटक	-13494.00	-10666.00	-12759.00
4	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	झारखंड	-24169.00	-14477.00	-8227.00
5	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	बंद करने हेतु अनुमोदित		
6	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	-33129.00	-37014.00	-37014.00
7	हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	तमिलनाडु	-216436.00	-252791.00	-291716.00
8	एचएमटी बियरिंग लिमिटेड	कर्नाटक	बंद करने हेतु अनुमोदित		
9	एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड	कर्नाटक			
10	एचएमटी वाचिज लिमिटेड	कर्नाटक			
11	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड**	राजस्थान	-14154.00	-17050.00	-9151.00
12	नेपा लिमिटेड	मध्य प्रदेश	-4871.00	-7012.00	-6862.00
13	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड	नागालैंड	-1538.00	-1739.00	-1447.00
14	रिचर्डसन एंड क्रुडास लिमिटेड	महाराष्ट्र	-365.00	-1006.00	1494.00
15	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	राजस्थान	-983.00	-890.00	-855.00
16	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	कर्नाटक	बंद करने हेतु अनुमोदित		
17	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	दिवालियापन के तहत		
18	टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पश्चिम बंगाल			

*** स्रोतः 13 मार्च, 2018 को संसद में रखा गया लोक उद्यम सर्वेक्षण 2016-17**

**** सरकार ने इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की कोटा यूनिट को बंद करने का निर्णय लिया है।**